न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

120
17.10.25

रामकुंवर बनाम द्वारकीलाल किस्म मुकदमा –223 अपील संख्या – 2025/229

अभिभाषक अपीलांट – श्री पूरीलाल राठौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	यह अपील जरिये अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत की गई। सरिश्ते की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी झालावाड के निर्णय व डिकी दिनांक 05–08–2003 के विरूद्ध पेश की गई है। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एडमिशन पर बहस सुनी गई। अपीलांटगण द्वारा न्यायालय हाजा में जरिये अभिभाषक दिनांक 19.09.2025 को अपील पेश की गई जो लगभग 21 साल बाद मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है कि अपीलांटगण को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 21.07.2025 को रेस्पोडेंट प्रार्थी द्वारा प्राप्त हुई है, इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में डिले से संबंधित कोई भी पर्याप्त कारण अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 05.08.2003 के अनुसार अपीलांट की ओर अधिवक्ता नियुक्त होना जाहिर है, ऐसी स्थिति में ये नहीं माना जा सकता है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिकी की जानकारी ना हो। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में जो तथ्य अंकित किये गये है, वह संतोषप्रद एवं विश्वसनीय नही माने जा सकते है। अपीलांटगण एवं उनके अभिभाषक द्वारा मियाद के सम्बन्ध में एक--एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील अपीलांट गंभीर रूप से लगभग 21 वर्ष मियाद बाहर होने से धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर एडमिशन बहस व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बाद सुनवाई मियाद अधिनियम के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालयः— भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील / टी0ए0 / झालावाड़ /   / 2025

1— रामकुँवर उर्फ रामकंवरीबाई आयु 65 वर्ष पत्नी कॅवरलाल भील निवासी सब्जीमंडी असनावर तहसील असनावर जिला झालावाड़ राजस्थान

2— प्रेमबाई आयु 63 वर्ष पत्नी देवीलाल भील निवासी हाल कालीदास कॉलोनी पावर हाउस के पीछे झालावाड जिला झालावाड़ राजस्थान

3— धापूबाई आयु 58 वर्ष पत्नी छीतरलाल भील निवासी समराई तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान

4— कमलाबाई उर्फ कमलेशबाई आयु 56 वर्ष पत्नी गुलाबचंद भील निवासी भवानीमंडी रोड़ बस स्टेण्ड झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

——अपीलार्थीगण

बनाम

1— द्वारकीलाल पुत्र मॉगीलाल भील निवासी समराई तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान

2— ललिताबाई पत्नी मॉगीलाल भील निवासी हाल रेलवे स्टेशन रोड़ ,गॉवडी तालाब के नीचे , चोपाटी के पास झालावाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान

3— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान

——प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ राजस्व वाद 876 / दावा / 2002 शीर्षक द्वारकीलाल बनाम ललिताबाई आदि
निर्णय व डिकी दिनांक 05.8.2003
अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मान्यवर ,

निवेदन है कि विचारण न्यायालय में ,प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91,188 व 53 के तहत दिनांक 1.8.2002 को प्रस्तुत वाद में प्रकथन किए थे कि ग्राम भिलवाड़ा तहसील झालरापाटन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 658 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा , खसरा नम्बर 660 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा , खसरा नम्बर 885 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा तथा ग्राम समराई तहसील झालरापाटन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 541 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 599 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा , कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा स्थित है , दोनो भूमियों की तत्समय खातेदार गुलाबबाई थी ,गुलाबबाई के विधिक वारिसान में ललिताबाई , रामकुँवरबाई , प्रेमबाई , धापूबाई कमलाबाई का होना बताया , वादी ने गुलाबबाई के फोत होने पर , गुलाबबाई के द्वारा